वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2016-ज्येष्ठ 6, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, नीलेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री बाबूलाल जैन, ए-64, गोविन्दपुरी, ग्वालियर का निवासी हूँ. मेरा नाम कक्षा 11 की मार्कशीट में नीलेश कुमार अंकित है जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम नीलेश कुमार जैन है.

अंत: भविष्य में मुझे नीलेश कुमार जैन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(नीलेश कुमार)

स्थाई पता— ए-64, गोविन्दपुरी,
ग्वालियर.

नया नाम :

(नीलेश कुमार जैन)

वर्तमान पता—C/o श्री एल. एस. बेसान्दर,
एम. आई. जी. 619, मयूर नगर, कॉलोनी,
मुरैना (म.प्र.).

(94-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व में मेरा नाम KHUSHNOODA AKHTAR था. जिसे परिवर्तित कर मैंने अपना नाम KHUSHNOODA ALI रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(KHUSHNOODA AKHTAR)

नया नाम :

(KHUSHNOODA ALI)

32/A, लाला लाजपतराय कॉलोनी,
सुपर शादी हॉल के पास, बाग दिलकुशा,
भोपाल (म.प्र.).

(95-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र शंकर दवे का नाम कुछ अभिलेखों में त्रुटिवश श्री सुरेन्द्र शंकर दुबे पिता श्री चुन्नीलाल दवे अंकित है जबकि इनका वास्तविक नाम श्री सुरेन्द्र शंकर दवे पिता स्व. श्री चुन्नीलाल दवे है, के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(सुरेन्द्र शंकर दुबे)

नया नाम :

(सुरेन्द्र शंकर दवे)

असाटी वार्ड नं. 2,
दमोह (म.प्र.).

(96-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार राजीव शर्मा पुत्र श्री रतीराम शर्मा, निवासी डी-2/001, विन्डसर हिल्स, न्यू सिटी सेन्टर, ग्वालियर की हाई स्कूल की अंकसूची में उनका नाम राजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री आर आर शर्मा दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरे पक्षकार का नाम राजीव शर्मा पुत्र श्री रतीराम शर्मा दर्ज है.

यहकि मेरे पक्षकार द्वारा अपने नाम के मिडिल नाम न लिखकर केवल प्रथम नाम एवं अंतिम नाम राजीव शर्मा ही लिखता है और इसी नाम से सभी प्रकार के संव्यवहार करता हैं तथा इसी नाम से भविष्य में जाना एवं पहचाना जायेगा मेरे पक्षकार को अपना मिडिल नाम हटाकर अपना पूरा नाम राजीव शर्मा पुत्र श्री रतीराम शर्मा का गजट में नोटिफिकेशन कराना है.

यहकि उक्त नोटिफिकेशन में किये जा रहे नाम परिवर्तन से हर आम व खास सूचित हो.

भवदीय
सुरेन्द्र स्वर्णकार,
(एडवोकेट).

(97-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कोमल (KOMAL) प्रसाद (PRASAD) था, अब वर्तमान में मेरा नाम करन (KARAN) पटेल (PATEL) पिता प्रेम नारायण हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे. आवेदक कोमल प्रसाद, आयु 26 वर्ष.

पुराना नाम :
(कोमल प्रसाद)

नया नाम :
(करन पटेल)
पता-ग्राम पुनोर, तह. पिपरिया,
जिला होशंगाबाद, संभाग भोपाल (म.प्र.).

(98-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश तोमर पुत्र स्व. श्री राजबहादुर सिंह तोमर, निवासी-66, अपनाघर कॉलोनी, मस्तान बाबा की दरगाह के सामने बहोड़ापुर, ग्वालियर. मेरा नाम हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में राजेश कुमार तोमर दर्ज है, जबकि वर्तमान में मैं, राजेश तोमर के नाम से पुकारा व पहचाना जाता हूँ और मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में नौकरी में भी राजेश तोमर नाम अंकित है. राजेश कुमार तोमर एवं राजेश तोमर एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अत: अब भविष्य में मुझे राजेश तोमर के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(राजेश कुमार तोमर)

नया नाम :
(राजेश तोमर)
66, अपनाघर कॉलोनी,
मस्तान बाबा की दरगाह के सामने,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(99-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को एवं सर्व-संबंधितों को सूचित किया जाता है कि, मैं मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता विभाग में अंकेक्षण अधिकारी के पद पर कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला ग्वालियर में पदस्थ हूँ. मेरे शासकीय सेवा अभिलेखों एवं विभागीय रिकार्ड आदि में मेरा नाम घनश्यामदास परिहार दर्ज है. परन्तु मेरे पुत्र सार्थकसिंह के सी. बी. एस. ई. बोर्ड के अभिलेखों व अंकसूची में मेरा नाम घनश्यामसिंह दर्ज हो गया है. उक्त नाम के कारण मेरे पुत्र को भविष्य में आनेवाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये मैंने अपना नाम घनश्यामसिंह परिहार कर लिया है. इसलिये मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि अब मुझे "घनश्यामसिंह परिहार" के नाम से जाना-पहचाना जावे और तदानुसार समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम लिखा जावे.

पुराना नाम :
(घनश्यामदास परिहार)

नया नाम :
(घनश्यामसिंह परिहार)

(100-बी.)

CHANGE OF NAME

I, RAVI CHAUREY here by declare that I have change my name as RAVI RANJAN CHAUREY So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(RAVI CHAUREY)

New Name :

(RAVI RANJAN CHAUREY)

Add—HIG-294, Kanupriya Nagar Rau,
Indore (M.P.).

(101-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, शादी के पूर्व मेरा नाम कुमारी नीलकमल गुप्ता पुत्री श्री रामचन्द्र गुप्ता था, शादी के बाद श्रीमती रानी अवाड़ पत्नी स्व. श्री रवि अवाड़ हो गया था. मेरे पति की मृत्यु दिनांक 15-02-2010 के पश्चात् मैं और मेरे बच्चे अपने माता-पिता के साथ रहती हूँ मेरे पति के अलावा इस परिवार में अब कोई नहीं, इसलिये अब मेरे और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे माता-पिता उठा रहे हैं, इसलिये मुझे भविष्य में नये नाम रानी गुप्ता के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(नीलकमल गुप्ता/रानी अवाड़)

नया नाम :

(रानी गुप्ता)

पता—निम्बाजी की खो, जीवाजीगंज,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(102-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र कनिष्क गुप्ता पुत्र श्री मनीष गुप्ता जिसका की पूर्व में नाम कनिष्क गुप्ता रख लिया था. लेकिन मैंने अपने पुत्र का नाम बदलकर आरव गुप्ता रख लिया है. सभी शासकीय अभिलेख आदि में आरव गुप्ता के नाम से है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अब कनिष्क गुप्ता के स्थान पर आरव गुप्ता के नाम से जाना-पहचाना जावे.

मनीष गुप्ता,
निवास—630, बी-आनंद नगर,
बहोड़ापुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(103-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पहले मेरा नाम भुपेन्द्र दुबे था. जिसे मैंने बदलकर राज दुबे कर लिया था, किन्तु अब फिर से मैंने अपना नाम भुपेन्द्र दुबे ही कर लिया है. अत: अब मुझे सभी जगह मेरे पुराने नाम भुपेन्द्र दुबे से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(राज दुबे)

नया नाम :

(भुपेन्द्र दुबे)

(106-बी.)

312, मानवता नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मुझे MOHAMMAD ADNAN SAUDAGAR (मोहम्मद अदनान सौदागर) के नाम से जाना जाता था जो कि अब बदलकर ADNAN SAUDAGAR (अदनान सौदागर) हो गया है. अत: अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम ADNAN SAUDAGAR (अदनान सौदागर) के नाम से जाना जाये है.

पुराना नाम :

(मोहम्मद अदनान सौदागर)
(MOHAMMAD ADNAN SAUDAGAR)

नया नाम :

(अदनान सौदागर)
(ADNAN SAUDAGAR)

(107-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स श्री केमिकल्स, 50 उद्योग बिहार चोरहटा, रीवा (म.प्र.) से दिनांक 01-04-2016 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है. (1) प्रवीण दुबे, (2) रंजन श्रीवास्तव उक्त दिनांक से ही फर्म में एक नये पार्टनर श्री शैलेन्द्र पाण्डेय को शामिल किया गया है. शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

मैसर्स श्री केमिकल्स,
शैलेन्द्र पाण्डेय,
(भागीदार)
50, उद्योग बिहार चोरहटा, रीवा (म.प्र.).

(105-बी.)

आम सूचना

(भागीदारी फर्म में संशोधन की सूचना)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी फर्म मेसर्स चंद्रा सिकरवार कंस्ट्रक्शन कम्पनी (शाजापुर) के भागीदार श्री रमेश नारायण राठौर पिता श्री सेवाराम राठौर, निवासी हरायपुरा, शाजापुर, दिनांक 13-5-2016 से भागीदारी फर्म से पृथक् हो गए हैं. अतः इस दिनांक के बाद हमारी फर्म का उनसे कोई संबंध नहीं है, आज दिनांक के बाद उनके द्वारा किये गये किसी भी व्यवहार के लिये हमारी फर्म की कोई जबावदारी नहीं है.

सो सूचना सूचित होवे.

मैसर्स चन्द्रा सिकरवार कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
GAJENDRA SINGH SIKARWAR,
(Partners)
378, स्टेशन रोड, शाजापुर.

(108-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 11 मई, 2016

क्र. जी.बी./दो(22)2015/1280.—स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण माड्यूल्स, केयर चार्ट बुकलेट एवं फ्लिप बुक के मुद्रण कार्य हेतु निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित पैकिंग एवं अन्य समस्त कर सहित प्रदाय हेतु नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में जीवित पंजीकृत गैर सरकारी मुद्रकों से आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाईड **https://mpeproc.gov.in** से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 01 जून, 2016 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 01 जून, 2016 को अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा एवं कामर्शियल भाग दिनांक 01 जून, 2016 को अपराह्न 4.00 बजे खोजा जावेगा.

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को **https://mpeproc.gov.in** पर अवलोकन हेतु रखा गया है.

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना **https://mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(374)

भोपाल, दिनांक 11 मई, 2016

क्र. जी.बी./दो(41)2016/1274.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में "ए" एवं "बी" आफसेट श्रेणी में जीवित पंजीकृत समस्त मुद्रकों से मुद्रण एवं अन्य संबंधित विधाओं के कार्य कराने हेतु तकनीकी एवं कामर्शियल भाग की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन ई-टेण्डर वेबसाईड **https://mpeproc.gov.in** से दिनांक 30 मई, 2016 समय अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है. तकनीकी भाग दिनांक 30 मई, 2016 को अपराह्न 3.30 बजे एवं निविदा का कामर्शियल भाग दिनांक 02 जून, 2016 को अपराह्न 2.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाऊनलोड की जावेगी.

2. ऑनलाईन तकनीकी भाग के परिशिष्ट-एक एवं दो की जानकारी की हार्डकापी, स्थापित मशीनों की सूची, नियम एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को **https://mpeproc.gov.in** पर अवलोकन हेतु रखा गया है.

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना **https://mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(374-A)

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2016

क्र. जी.बी./दो(16)2016/1311.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत मुद्रकों से स्क्रीन प्रिंटिंग, प्लेट मैकिंग, कम्पोजिंग, लेमिनेशन, डाई एम्बोजिंग, यू. व्ही. कोटिंग कार्य हेतु निविदाकारों से दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित निविदा प्रपत्र में तकनीकी एवं कामर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में सीलबन्द कर) दिनांक 23 मई, 2016 अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है. निविदा प्रपत्र रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) नगद जमा कर दिनांक 20 मई, 2016 अपराह्न 4.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में क्रय किये जा सकते है. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा. निविदा प्रपत्र को मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईड **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रख गया है.

2. वेबसाईट से डाऊनलोड कर प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र के साथ राष्ट्रीयकृत अनुसूची बैंक का रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जायेगी.

3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 23 मई, 2016 अपराह्न 3.00 बजे निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण उपरांत कामर्शियल निविदा खोलने की तिथि एवं समय की सूचना शासकीय वेबसाई पर प्रदर्शित की जायेगी. डाक विभाग से निविदा आदि भेजने एवं इस कार्यालय में प्राप्त करने आदि में हुए विलम्ब के लिये नियंत्रक कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा.

4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नियंत्रक के पास सुरक्षित रहेगा.

(374-B)

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2016

क्र. जी.बी./दो(42)2016/1310.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, म.प्र. भोपाल में जीवित पंजीकृत समस्त जिल्दसाजों से बाईडिंग एवं अन्य कार्य कराने हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत वबेसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित निविदा प्रपत्र में तकनीकी एवं कामर्शियल भाग (पृथक्-पृथक् लिफाफों में सीलबन्द कर) दिनांक 26 मई, 2016 अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है. निविदा प्रपत्र रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) नगद जमा कर दिनांक 25 मई, 2016 अपराह्न 4.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में क्रय किये जा सकते है. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा. निविदा प्रपत्र को मध्यप्रदेश शासन की वेबसाईड **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रख गया है.

2. वेबसाईट से डाऊनलोड कर प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र के साथ राष्ट्रीयकृत/अनुसूची बैंक का रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जायेगी.

3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 23 मई, 2016 अपराह्न 3.00 बजे निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण उपरांत कामर्शियल निविदा खोलने की तिथि एवं समय की सूचना शासकीय वेबसाई पर प्रदर्शित की जायेगी. डाक विभाग से निविदा आदि भेजने एवं इस कार्यालय में प्राप्त करने आदि में हुए विलम्बर के लिये नियंत्रक कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा.

4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नियंत्रक के पास सुरक्षित रहेगा.

(374-C)

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2016

क्र. जी.बी.चार/(पी-1)2016-17/1375.—ऑनलाईन बिडिंग **https://www.mpeproc.gov.in** पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 02 जून, 2016 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री का क्रय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईड **www.govt.pressmp.nic.in** पर अवलोकन किया जा सकता है.

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकापी एवं नमूनें सूची सहित अधोहस्तारकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑनलाईन निविदा एवं हार्डकॉपी की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थिति निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईड **https://www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(400)

Bhopal, Dated 20th may, 2016

(Printing Articles)

No. GB-IV-Printing(1)2016-17/1375.— *ONLINE Bidding go through* IT Department Portal **https;//www.mpeproc.gov.in** and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 P.M. on 2nd june, 2016 as per Key—Dates from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of various types of printing materials for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.

2.Tender Document and agreement details of tender are also available at website **www.govt.pressmp.nic.in.**

3.In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealded) must be recived at the office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE as per key dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on **https://www.mpeproc.gov.in .**

SANJEEV SINGH,
Controller,
Govt. Printing & Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(400-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक, लोक न्यास, सुसनेर

प्र.क्र.1बी/113/2015-16.

प्रारूप-तृतीय

(नियम पॉच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक सुसनेर, जिला आगर-मालवा के समक्ष यह कि श्री शिवसिंह पिता दुलेसिंह, निवासी कायरा, तहसील सुसनेर कार्यकारी अध्यक्ष एवं श्री सजनसिंह पिता रामसिंह सिसौदिया, निवासी कायरा कार्यकारी सचिव ने श्री राम जानकी, लक्ष्मण मंदिर समिति ग्राम कायरा, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा- 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 12 फरवरी, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. ग्राम कायरा की भूमि सर्वे नं. 17 रकबा 0.052, 33 रकबा 0.408, 34 रकबा 0.042, 672 रकबा 0.784, 575/3/1 रकबा 0.951, 575/3/2 स्थित है.

जी. एस. डावर,
अनुविभागीय अधिकारी.

(375)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकरी (राजस्व), बैतूल

प्रारूप-4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-30 की मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

यह कि अध्यक्ष माँ चण्डीदरबार चेरीटेबल ट्रस्ट गोधना, तहसील चिचोली, जिला बैतूल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा के अंतर्गत एवं आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 2016 माह मई, 2016 के 30 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को कहने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	:	माँ चंडीदरबार चेरिटेबल ट्रस्ट गोधना, तहसील चिचोली, जिला बैतूल मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण	:	चल सम्पत्ति-50,000/- (पचास हजार) केवल.

संजीव केशव पाण्डेय,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा.).

(376)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना व जिला भिण्ड

प्र.क्र. /15-16/बी-113/437. भिण्ड, दिनांक 26 अप्रैल, 2016

फार्म-4

[नियम (1)देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि श्री पदम चन्द्र जैन पुत्र प्रभूदयाल जैन, अध्यक्ष श्री चन्द्रप्रभू दिगम्बर जैन परेट मंदिर पुस्तक बाजार, भिण्ड द्वारा श्री चन्द्रप्रभू जैन मंदिर परेट चौराहा पुस्तक बाजार का ट्रस्ट गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के प्रस्तुत किया गया.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से या अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री चन्द्रप्रभू दिगम्बर जैन भू मंदीर परेट चौराजा पुस्तक बाजार, भिण्ड.
2. चल सम्पत्ति	:	रुपये 17,400-00 नगदी.
3. अचल सम्पत्ति	:	भवन का आकार 90 फुट चौड़ा तथा 120 फुट लम्बा उक्त भवन में नीचे की मंजिल में धर्मशाला में 4 कमरे, लेटरिन, बाथरूम एवं हाल बड़े-बड़े एवं आंगन उपर दर्शन के लिए दो जीना, बर्तन भण्डारे के लिए, दो कमरा एवं एक कमरा औषाधालय, एक कमरा माली व सायबान में किचिन, भूता बाजार में दुकान एवं पुस्तक बाजार में आठ दुकानें हैं.

एल. के. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी.

(377)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, झाबुआ

रा.प्र.क्र.01/बी-113/15-16. झाबुआ, दिनांक 02 मई, 2016

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) के तहत्]

क्र./1671/रीडर/2016.—आवेदक श्री सेकु अध्यक्ष, इच्छापूर्ण हनुमान पारमार्थिक ट्रस्ट, नवापाड़ा, तहसील झाबुआ द्वारा इच्छापूर्ण हनुमान पारमार्थिक ट्रस्ट, नवापाड़ा को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र धारा-4-5 मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है.

2. जिसकी सुनवाई 30 मई, 2016 को इस न्यायालय में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो और प्रकरण में नियत दिनांक 30 मई, 2016 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित होवें. निर्धारित समयावधि पश्चात् प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम/पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

नाम	:	इच्छापूर्ण हनुमान पारमार्थिक ट्रस्ट, नवापाड़ा.
अचल सम्पत्ति का विवरण	:	निरंक.
चल सम्पत्ति का विवरण	:	रुपये 9020/- (नौ हजार बीस रु.) केन्द्रीय सहकारी बैंक पारा में जमा हैं.

सैयद अशफाक अली,
(378) अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मनासा, जिला नीमच

प्र.क्र.01/बी-113/2015-16.

प्रारूप-4

(नियम-5 देखिए)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास, मनासा के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री सांई आशीष फाउंडेशन, मनासा, जिला नीमच द्वारा-लक्ष्मणदास पिता टोपनदास वधवा, निवासी-रामपुरा रोड, मनासा, तहसील-मनासा, जिला नीमच की ओर से श्री सांई आशीष फाउंडेशन, मनासा के न्यास पंजीयन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो तो उसे इस सूचना (विज्ञप्ति) द्वारा सूचना दी जाती है.

मैं, बी. एल. कोचले, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, मनासा अपने न्यायालय में दिनांक 26 अप्रैल, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतएव एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	श्री सांई आशीष फाउंडेशन, मनासा, जिला नीमच (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति का विवरण	:	ग्राम-सारसी स्थित भूमि सर्वे नम्बर-07, रकबा-0.153 हेक्टर.
चल सम्पत्ति का विवरण	:	रुपये 22375/- स. न. क्षे. ग्रा. बैंक शाखा-मनासा में न्यास के बचत खाता क्रमांक-2003481010004152 में जमा है.

बी. एल. कोचले,
(379) अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, सागर

वन परिक्षेत्र अधिकारी बण्डा के पत्र क्रमांक/411, दिनांक 25 फरवरी, 2016 के प्रतिवेदन अनुसार पार्श्व अंकित आकृति का निम्नांकित हेमर (हथौड़ा) जो कूप नंबर VIII मुण्डी IFS पातन कार्य हेतु उप वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर द्वारा चालान क्रमांक/03/83, दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 से प्रदाय किया गया था. वनरक्षक श्री अनिल गर्ग वीट प्रभारी मगरा से उक्त हेमर दिनांक 14 फरवरी, 2016 को जंगल भ्रमण के समय ग्राम मगरा के रास्ते में थैले से गिर गया. हेमर खोजने का हर संभव प्रयास किये जाने के बाद भी हेमर प्राप्त नहीं हो सका, जिसकी लिखित सूचना पुलिस थाना प्रभारी दलपतपुर को दी गयी, समय प्रयासों के बाद भी हेमर अप्राप्त है.

हेमर की आकृति

अतः आदेश दिया जाता है कि:-

आदेश क्रमांक/मा.चि./स्था./16/66. सागर, दिनांक 17 मार्च, 2016

वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त पातन हेमर शासकीय भण्डार एवं अभिलेख में अपलेखित किया जावे. हेमर का मूल्य 350/- (अंकन तीन सौ पचास रुपये मात्र) की अनिल गर्ग (वनरक्षक) वन परिक्षेत्र बण्डा से एक मुश्त वसूल कर शासकीय कोष में जमा किया जावे. वनरक्षक द्वारा शासकीय कार्य के सम्पादन में की गयी लापरवाही के लिये चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आकृति का हेमर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसे निकट स्थित वन विभाग के कार्यालय या पुलिस थाने में जमा कर देवें. उक्त हेमर का अनाधिकृत रूप से अपने पास रखना अथवा उपयोग करना अवैधानिक होना एवं उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी.

अनुराग कुमार,
(380) वन मण्डलाधिकारी.

कार्यालय जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 11 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./27.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक/90, दिनांक 25 अक्टूबर, 1962 है, कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, संभाग जबलपुर के आदेश क्र/सं.पं.ज./विधि/2016/46, जबलपुर, दिनांक 07 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एस. डेहरिया,
(381) परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

ग्रामीण मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1128, दिनांक 12 जुलाई, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/131, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ग्रामीण मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1128, दिनांक 12 जुलाई, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पगारा, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1471, दिनांक 05 फरवरी, 2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/61, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पगारा, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1471, दिनांक 05 फरवरी, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-A)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

मत्स्य पालन सहाकरी समिति मर्या., मैनाई-धौनाई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1470, दिनांक 20 जनवरी, 2014

(जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/60, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्य पालन सहाकरी समिति मर्या., मैनाई-धौनाई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1470, दिनांक 20 जनवरी, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-B)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कर्रापुर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 284, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/58, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्य सहकारी समिति मर्या., कर्रापुर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 284, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-C)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

मछुआ सहकारी समिति मर्या., मोहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1452, दिनांक 16 जुलाई, 2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/53, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., मोहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1452, दिनांक 16 जुलाई, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-D)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

मछुआ सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1381, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/52, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1381, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-E)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

रैकवार मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 448, दिनांक 02 जून, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/51, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रैकवार मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 448, दिनांक 02 जून, 1989 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-F)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

मछुआ सहकारी समिति मर्या., नरयावली, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1324, दिनांक 13 फरवरी, 2009 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/141, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., नरयावली, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1324, दिनांक 13 फरवरी, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-G)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., तालपोह, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 876, दिनांक 17 जुलाई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/140, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., तालपोह, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 876, दिनांक 17 जुलाई, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-H)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनौता सहावन, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1143, दिनांक 17 अगस्त, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/136, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनौता सहावन, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1143, दिनांक 17 अगस्त, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-I)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., वीलाग्राम, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 431, दिनांक 10 मार्च, 1987 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/134, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., वीलाग्राम, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 431, दिनांक 10 मार्च, 1987 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-J)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., वीलाग्राम, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 752, दिनांक 16 अगस्त, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/133, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., वीलाग्राम, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 752, दिनांक 16 अगस्त, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-K)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., टड़ा (शाहपुर), वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1477, दिनांक 07 मई, 2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/63, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., टड़ा (शाहपुर), वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1477, दिनांक 07 मई, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-L)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंझेरा, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1164, दिनांक 14 जनवरी, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/280, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंझेरा, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1164, दिनांक 14 जनवरी, 2005 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-M)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्होरी जगदीश, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1092, दिनांक 16 फरवरी, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/275, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्होरी जगदीश, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1092, दिनांक 16 फरवरी, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-N)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुरयाना, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1076, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/273, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुरयाना, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1076, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-O)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनेरागौड़, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1070, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/272, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनेरागौड़, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1070, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-P)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नाऊढाना, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1036, दिनांक 12 मार्च, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/268, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नाऊढाना, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1036, दिनांक 12 मार्च, 2003 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-Q)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

कल्पतरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सनाई, वि. ख .बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 939, दिनांक 23 सितम्बर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/264, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कल्पतरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सनाई, वि. ख .बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 939, दिनांक 23 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-R)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

श्रीराम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिछिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 826, दिनांक 20 मई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/255, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्रीराम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिछिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 826, दिनांक 20 मई, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-S)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

राधे-राधे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झागरी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1019, दिनांक 21 जनवरी, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/259, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत राधे-राधे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झागरी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1019, दिनांक 21 जनवरी, 2003 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-T)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पनारी, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1123, दिनांक 16 जून, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/278, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पनारी, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1123, दिनांक 16 जून, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-U)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढावरी, वि. ख. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1104, दिनांक 25 मार्च, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/277, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढावरी, वि. ख. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1104, दिनांक 25 मार्च, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मालथौन को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-V)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वेधनी, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 973, दिनांक 14 नवम्बर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/265, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वेधनी, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 973, दिनांक 14 नवम्बर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-W)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झूड़ा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1139, दिनांक 12 अगस्त, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/276, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झूड़ा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1139, दिनांक 12 अगस्त, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-X)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

कामदेही महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वनहट, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1163, दिनांक 12 जनवरी, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/281, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कामदेही महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वनहट, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1163, दिनांक 12 जनवरी, 2005 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-Y)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

हंसवाहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तोड़ाकाछी, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1166, दिनांक 14 जनवरी, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/282, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत हंसवाहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तोड़ाकाछी, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1166, दिनांक 14 जनवरी, 2005 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(393-Z)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रेंगुआ, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1178, दिनांक 01 फरवरी, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/283, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रेंगुआ, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1178, दिनांक 01 फरवरी, 2005 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जगराईकलां, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1199, दिनांक 28 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/287, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) कं अन्तर्गत प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जगराईकलां, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1199, दिनांक 28 अप्रैल, 2005 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-A)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहाकरी समिति मर्या., बम्होरी नवाब, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1208, दिनांक 13 जुलाई, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/288, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहाकरी समिति मर्या., बम्होरी नवाब, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1208, दिनांक 13 जुलाई, 2005 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-B)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुड़ियारा, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1315, दिनांक 15 जुलाई, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/290, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तगत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुड़ियारा, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1315, दिनांक 15 जुलाई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-C)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रजवांस, वि. ख. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1332, दिनांक 09 मार्च, 2009 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/291, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रजवांस, वि. ख. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1332, दिनांक 09 मार्च, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मालथौन को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-D)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा सानौधा, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1001, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/292, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा सानौधा, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1001, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-E)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

हरसिद्धि माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अगरिया, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 925, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/254, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत हरसिद्धि माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अगरिया, वि. ख. जैसीनगर , जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 925, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-F)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., टेंटवारा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 968, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/251, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., टेंटवारा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 968, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-G)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

अकृषि साख सहकारी समिति मर्या., इतवारी प्रजापति सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 803, दिनांक 03 जून, 1955 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/215, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अकृषि साख सहकारी समिति मर्या., इतवारी प्रजापति सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 803, दिनांक 03 जून, 1955 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-H)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

अकृषि साख सहकारी समिति मर्या., तिली चौरसिया सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1017, दिनांक 03 मई, 1955 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/216, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अकृषि साख सहकारी समिति मर्या., तिली चौरसिया सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1017, दिनांक 03 मई, 1955 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-I)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

नगर पालिका कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 298, दिनांक 03 मार्च, 1976 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/217, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत नगर पालिका कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 298, दिनांक 03 मार्च, 1976 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-J)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

चित्रांश कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 111, दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/218, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत चित्रांश कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 111, दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-K)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

म.प्र. पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., 10वीं वाहिनी विशेष सस्त्रबल, सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 767, दिनांक 02 सितम्बर, 2000 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/219, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत म.प्र. पुलिस साख सहकारी समिति मर्या., 10वीं वाहिनी विशेष सस्त्रबल सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 767, दिनांक 02 सितम्बर, 2000 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-L)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

म.प्र. पुलिस कर्मचारी साख एवं कल्याण सहकारी समिति मर्या., 16वीं बटालियन मकरोनियां सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 750, दिनांक 02 जुलाई, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/220, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत म.प्र. पुलिस कर्मचारी साख एवं कल्याण सहकारी समिति मर्या., 16वीं बटालियन मकरोनियां सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 750, दिनांक 02 जुलाई, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-M)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

बड़ा बाजार अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 248, दिनांक 28 नवम्बर, 1959 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/221, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बड़ा बाजार अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 248, दिनांक 28 नवम्बर, 1959 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-N)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

कीर्ति अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1115, दिनांक 01 मई, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/224, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कीर्ति अल्प बचत सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1115, दिनांक 01 मई, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-O)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/808.—पं. दीनदयाल बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छुल्ला, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1306, दिनांक 31 मई, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/198, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पं. दीनदयाल बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छुल्ला, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1306, दिनांक 31 मई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-P)

सागर, दिनांक 11, 15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/809.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रारौन, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1305, दिनांक 01 मई, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/197, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रारौन, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1305, दिनांक 01 मई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-Q)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/810.—प्राथमिक भीमराव अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सीहोरा, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1304, दिनांक 01 मई, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/196, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक भीमराव अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सीहोरा, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1304, दिनांक 01 मई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-R)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/811.—संत रविदास प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राजीव नगर वार्ड सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1303, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/195, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत संत रविदास प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राजीव नगर वार्ड सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1303, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-S)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/812.—लक्ष्मीनारायण प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1302, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/194, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1302, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-T)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/813.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मोढारनायक, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1301, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/193, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मोढारनायक, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1301, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-U)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/814.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1300, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/192, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1300, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-V)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/815.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बलेह, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1299, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/191, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बलेह, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1299, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-W)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/816.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1256, दिनांक 18 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/190, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवरी, वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1256, दिनांक 18 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-X)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/817.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रेगुवां, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1252, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/189, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रेगुवां, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1252, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-Y)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/818.—प्रभुश्री बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बण्डा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1258, दिनांक 21 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/188, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्रभुश्री बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बण्डा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1258, दिनांक 21 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(394-Z)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/819.—अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बण्डा (वार्ड क्र. 3,4), वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1249, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/187, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बण्डा (वार्ड क्र. 3,4), वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1249, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/820.—रानी दुर्गावती बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कंदवा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1235, दिनांक 13 अगस्त, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/186, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रानी दुर्गावती बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कंदवा, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1235, दिनांक 13 अगस्त, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-A)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/821.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चंद्रापुर, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1244, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/185, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चंद्रापुर, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1244, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-B)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/822.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 9 से 12 राहतगढ़, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1243, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/184, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 9 से 12 राहतगढ़, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1243, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-C)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/823.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1239, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/183, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1239, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-D)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/824.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1275, दिनांक 06 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/157, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कासलपिपरिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1275, दिनांक 06 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-E)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/825.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरीकलां, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1274, दिनांक 06 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/156, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरीकलां, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1274, दिनांक 06 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-F)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/826.—सहारा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड 5, 6, 7, 8, रहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1273, दिनांक 05 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/155, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सहारा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड 5, 6, 7, 8, रहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1273, दिनांक 05 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-G)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/845.—माँ दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सेमराबाग लालेपुर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1336, दिनांक 18 मई, 2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/206, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माँ दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सेमराबाग लालेपुर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1336, दिनांक 18 मई, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-H)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/827.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खमरिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1272, दिनांक 05 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/149, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खमरिया वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1272, दिनांक 05 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-I)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/828.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिखी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1271, दिनांक 05 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/148, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तिखी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1271, दिनांक 05 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-J)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/829.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जरियाखिरिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1270, दिनांक 04 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/147, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जरियाखिरिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1270, दिनांक 04 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-K)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/830.—स्नेहा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1269, दिनांक 04 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/146, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत स्नेहा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पटनाबुजुर्ग, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1269, दिनांक 04 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-L)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/831.—रक्षा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बसारी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1268, दिनांक 04 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/145, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रक्षा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बसारी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1268, दिनांक 04 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-M)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/832.—संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1267, दिनांक 04 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/144, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1267, दिनांक 04 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-N)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/833.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुमरई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1265, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/143, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुमरई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1265, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-O)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/834.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1264, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/45, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1264, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-P)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/835.—उदय बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुंजौरा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1263, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/44, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उदय बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुंजौरा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1263, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-Q)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/836.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1262, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/43, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1262, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-R)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/837.—श्री गणेश बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., उदयपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1261, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/42, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री गणेश बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., उदयपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1261, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-S)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/838.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजवांस, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1314, दिनांक 10 जुलाई, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/199, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजवांस, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1314, दिनांक 10 जुलाई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-T)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/839.—वनवासी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवलपानी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1316, दिनांक 16 जुलाई, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/200, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत वनवासी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., देवलपानी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1316, दिनांक 16 जुलाई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-U)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/840.—प्राथमिक बीड़ी मजदूर सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 528, दिनांक 30 अप्रैल, 1992 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/201, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी मजदूर सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 528, दिनांक 30 अप्रैल, 1992 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-V)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/841.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर खुशीपुरा सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1326, दिनांक 07 जुलाई, 2009 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/202, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर खुशीपुरा सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1326, दिनांक 07 जुलाई, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-W)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/842.—शारदा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवानगंज वार्ड 15 सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1327, दिनांक 13 जुलाई, 2009 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/203, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत शारदा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भगवानगंज वार्ड 15 सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1327, दिनांक 13 जुलाई, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-X)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/843.—वरदान महिला बीड़ी श्रमिक सहकारी समिति मर्या., ढाना, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1331, दिनांक 25 अगस्त, 2009 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/204, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत वरदान महिला बीड़ी श्रमिक सहकारी समिति मर्या., ढाना, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1331, दिनांक 25 अगस्त, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-Y)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/844.—सोनम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दयानंद वार्ड सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1333, दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/205, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सोनम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दयानंद वार्ड सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1333, दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(395-Z)

सागर, दिनांक 11,15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/846.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., हरदी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1259, दिनांक 28 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/46, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., हरदी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1259, दिनांक 28 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/847.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बम्होरी गरय, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1260, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/41, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) कं अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बम्होरी गरय, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1260, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-A)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., परासरी बंगला, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 163, दिनांक 29 फरवरी, 1967 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/83, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत संयुक्त कृषि सहकारी समिति मर्या., परासरी बंगला, वि. ख. बिना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 163, दिनांक 29 फरवरी, 1967 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-B)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/848.—राधे-राधे बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चनौआ बुजुर्ग, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1276, दिनांक 13 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/158, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) कं अन्तर्गत राधे-राधे बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चनौआ बुजुर्ग, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1276, दिनांक 13 फरवरी, 2008को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-C)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/849.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., धनगुवां, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1277, दिनांक 13 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/159, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., धनगुवां, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1277, दिनांक 13 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-D)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/850.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अचलपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1278, दिनांक 13 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/160, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., अचलपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1278, दिनांक 13 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-E)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/851.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छिरारी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1279, दिनांक 13 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/161, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., छिरारी, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1279, दिनांक 13 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-F)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/852.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1280, दिनांक 13 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/162, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1280, दिनांक 13 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-G)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/853.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जूना, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1282, दिनांक 18 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/163, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., जूना, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1282, दिनांक 18 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-H)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/854.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ीकलां, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1283, दिनांक 18 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/164, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ीकलां, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1283, दिनांक 18 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-I)

सागर, दिनांक 11, 15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/855.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., घोघरा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1284, दिनांक 18 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/165, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., घोघरा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1284, दिनांक 18 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-J)

सागर, दिनांक 11, 15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/856.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया डिगर्रा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1285, दिनांक 18 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/166, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया डिगर्रा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1285, दिनांक 18 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-K)

सागर, दिनांक 11, 15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/857.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चौका, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1286, दिनांक 18 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/167, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चौका, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1286, दिनांक 18 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-L)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/858.—बम महादेव बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुड़ई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1287, दिनांक 18 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/168, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बम महादेव बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुड़ई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1287, दिनांक 18 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-M)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/859.—माँ हरसिद्धि बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., परासिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1288, दिनांक 18 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/169, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माँ हरसिद्धि बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., परासिया, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1288, दिनांक 18 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-N)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/860.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बोरई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1291, दिनांक 28 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/171, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बोरई, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1291, दिनांक 28 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-O)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/861.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरीखुर्द, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1292, दिनांक 28 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/172, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरीखुर्द, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1292, दिनांक 28 फरवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-P)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/862.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दरारियामुर्गा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1293, दिनांक 01 मार्च, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/173, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दरारियामुर्गा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1293, दिनांक 01 मार्च, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-Q)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/863.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजरंग वार्ड गढ़ाकोटा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1294, दिनांक 01 मार्च, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/174, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजरंग वार्ड गढ़ाकोटा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1294, दिनांक 01 मार्च, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-R)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/864.—प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सूरजपुरा (ग्रा. पं. केंकस), वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1296, दिनांक 29 मार्च, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/175, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सूरजपुरा (ग्रा. पं. केंकस), वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1296, दिनांक 29 मार्च, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-S)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/865.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तालचिरी, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1247, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/179, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तालचिरी, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1247, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-T)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/866.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 9 रामेश्वर वार्ड, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1297, दिनांक 29 मार्च, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/176, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., वार्ड क्र. 9 रामेश्वर वार्ड, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1297, दिनांक 29 मार्च, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-U)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/867.—आदर्श बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजौआ, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1236, दिनांक 13 अगस्त, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/177, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रजौआ, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1236, दिनांक 13 अगस्त, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-V)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/868.—हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1237, दिनांक 06 सितम्बर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/178, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1237, दिनांक 06 सितम्बर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-W)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/869.—इन्द्रानी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गौरा (सिमरिया), वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1254, दिनांक 11 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/181, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इन्द्रानी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गौरा (सिमरिया), वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1254, दिनांक 11 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-X)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/870.—संतकबीर वार्ड बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., संतकबीर वार्ड, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1257, दिनांक 21 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/182, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत संतकबीर वार्ड बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., संतकबीर वार्ड, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1257, दिनांक 21 जनवरी, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-Y)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/871.—लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी टाड़, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1124, दिनांक 29 जून, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/279, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी टाड़, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1124, दिनांक 29 जून, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(396-Z)

सागर, दिनांक 15 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

पैराडाइज कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., रहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1317, दिनांक 18 जुलाई, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/103, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पैराडाइज कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., रहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1317, दिनांक 18 जुलाई, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 126, दिनांक 27 अगस्त, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/49, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 126, दिनांक 27 अगस्त, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-A)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

प्रजापति ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1085, दिनांक 04 फरवरी, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/48, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्रजापति ईंट खपरा उद्योग सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1085, दिनांक 04 फरवरी, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-B)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1313, दिनांक 24 जून, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/47, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अलमदद चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सदर बाजार सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1313, दिनांक 24 जून, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-C)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 122, दिनांक 09 अप्रैल, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/50, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 122, दिनांक 09 अप्रैल, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-D)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

आदर्श प्लास्टिक एवं स्टेशनरी प्रिंटिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 760, दिनांक 29 अप्रैल, 2000 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/117, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श प्लास्टिक एवं स्टेशनरी प्रिंटिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 760, दिनांक 29 अप्रैल, 2000 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-E)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

रविदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 622, दिनांक 10 जनवरी, 1997 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/116, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रविदास चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ाकोटा, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 622, दिनांक 10 जनवरी, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-F)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

डॉ. अम्बेडकर चर्मकला विकास एवं निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 771, दिनांक 16 जनवरी, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/115, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत डॉ. अम्बेडकर चर्मकला विकास एवं निर्माण औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 771, दिनांक 16 जनवरी, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-G)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

गरीब नबाज चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 450, दिनांक 23 अक्टूबर, 1989 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/114, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत गरीब नबाज चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 450, दिनांक 23 अक्टूबर, 1989 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-H)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 532, दिनांक 08 जून, 1993 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/112, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 532, दिनांक 08 जून, 1993 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-I)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

हरिजन फर्नीचर्स उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 329, दिनांक 19 मई, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/111, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत हरिजन फर्नीचर्स उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 329, दिनांक 19 मई, 1981 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-J)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

लुहारी सुतारी सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 308, दिनांक 10 अक्टूबर, 1977 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/110, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत लुहारी सुतारी सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 308, दिनांक 10 अक्टूबर, 1977 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-K)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

जयश्री नारायण सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 136, दिनांक 30 जुलाई, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/228, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जयश्री नारायण सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 136, दिनांक 30 जुलाई, 2003 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-L)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

सागर बांस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 45, दिनांक 06 फरवरी, 1961 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/109, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सागर बांस उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 45, दिनांक 06 फरवरी, 1961 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-M)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

बुन्देलखण्ड ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 124, दिनांक 25 जुलाई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/227, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 124, दिनांक 25 जुलाई, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-N)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

सागर सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., सिविल लाईन सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 103, दिनांक 19 अप्रैल, 1993 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/226, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सागर सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., सिविल लाईन सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 103, दिनांक 19 अप्रैल, 1993 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-O)

सागर, दिनांक 11 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

जिला शिक्षण कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 02, दिनांक 27 अप्रैल, 1977 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/108, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जिला शिक्षण कल्याण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 02, दिनांक 27 अप्रैल, 1977 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-P)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/896.—पगारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पगारा, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1423, दिनांक 02 मार्च, 2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/74, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत पगारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पगारा, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1423, दिनांक 02 मार्च, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-Q)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/897.—मझगुवां दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मझगुवां, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1414, दिनांक 03 फरवरी, 2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/73, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मझगुवां दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मझगुवां, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1414, दिनांक 03 फरवरी, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-R)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/898.—रेंवझा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेंवझा, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1395, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/71, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रेंवझा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रेंवझा, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1395, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-S)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/899.—नारायणपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1386, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/69, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत नारायणपुर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1386, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-T)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/900.—नवलउ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नवलउ, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1384, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/200, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत नवलउ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नवलउ, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1384, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-U)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/901.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाना, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1340, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/66, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाना, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1340, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-V)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/902.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरखड़ी, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 02, दिनांक 28 जून, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/88, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरखड़ी, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 02, दिनांक 28 जून, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-W)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/903.—उज्जवल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांदपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 130, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/89, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उज्जवल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चांदपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 130, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-X)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/904.—घनश्याम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गड़र, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1335, दिनांक 25 फरवरी, 2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/90, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत घनश्याम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गड़र, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1335, दिनांक 25 फरवरी, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-Y)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/905.—बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भड़राना, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1337, दिनांक 19 जुलाई, 2010 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/91, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भड़राना, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1337, दिनांक 19 जुलाई, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(397-Z)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/906.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैजरामाफी, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1383, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/92, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैजरामाफी, वि. ख. राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1383, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/907.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केवलारी, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 157, दिनांक 27 जुलाई, 2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/93, सागर, दिनांक 11 ज़नवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) कं अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केवलारी, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 157, दिनांक 27 जुलाई, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-A)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/908.—माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1441, दिनांक 20 जून, 2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/95, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनपुर, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1441, दिनांक 20 जून, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-B)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/909.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पार, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 161, दिनांक 04 मार्च, 2013 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/97, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) कं अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पार, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 161, दिनांक 04 मार्च, 2013 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-C)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/910.—प्रिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरगुवां (देवरी), वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1469, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/118, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्रिया बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरगुवां (देवरी), वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1469, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-D)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/911.—भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिठोरिया, वि. ख. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1473, दिनांक 04 मार्च, 2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/119, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तगत भाग्योदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिठोरिया, वि. ख. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1473, दिनांक 04 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मालथौन को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-E)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/912.—विशालराज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1475, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/121, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत विशालराज बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़िया, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1475, दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-F)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/913.—माते बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1513, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/124, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत माते बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रिया, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1513, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-G)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/914.—विद्युत गृह कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 25, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/295, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत विद्युत गृह कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 25, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-H)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/915.—इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., केसली, वि. ख. केसली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 17, दिनांक 21 अप्रैल, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/298, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., केसली, वि. ख. केसली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 17, दिनांक 21 अप्रैल, 1981 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड केसली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-I)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/916.—गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 123, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/299, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 123, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-J)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/917.—जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., बीना, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 249, दिनांक 26 फरवरी, 1995 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/78, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जनता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., बीना, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 249, दिनांक 26 फरवरी, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-K)

सागर, दिनांक 11,16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/918.—भारतीय महिला उपभोक्ता सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1238, दिनांक 29 सितम्बर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/77, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत भारतीय महिला उपभोक्ता सामग्री क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1238, दिनांक 29 सितम्बर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-L)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/919.—कृषक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., देवरी, वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 121, दिनांक 10 जनवरी, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/154, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कृषक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या., देवरी, वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 121, दिनांक 10 जनवरी, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-M)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/920.—विपणन सहकारी समिति मर्या., खुरई, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06, दिनांक 25 सितम्बर, 1939 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/153, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत विपणन सहकारी समिति मर्या., खुरई, वि. ख. खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06, दिनांक 25 सितम्बर, 1939 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खुरई को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-N)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/921.—सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., शाहगढ़, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 118, दिनांक 29 जून, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/152, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., शाहगढ़, वि. ख. शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 118, दिनांक 29 जून, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड शाहगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-O)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/922.—रहली तहसील कृषक विपणन सहकारी समिति मर्या., रहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 37, दिनांक 19 जून, 1984 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/151, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रहली तहसील कृषक विपणन सहकारी समिति मर्या., रहली, वि. ख. रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 37, दिनांक 19 जून, 1984 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11, 16 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-P)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/923.—दि अमर कामगार पैंसेजर को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 04, दिनांक 20 अगस्त, 1960 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/225, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दि अमर कामगार पैंसेजर को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 04, दिनांक 20 अगस्त, 1960 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-Q)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/924.—शिवाजी ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ा, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1382, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/208, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत शिवाजी ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ा, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1382, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-R)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/925.—इफ्को प्रवर्तित प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., चितोरा, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 48, दिनांक 23 जून, 1988 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/231, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इफ्को प्रवर्तित प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., चितोरा, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 48, दिनांक 23 जून, 1988 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-S)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/926.—इफ्को प्रवर्तित प्राईमरी फामर्स फॉरेस्टी को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि. सुरखी, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 49, दिनांक 23 जून, 1988 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/232, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लायें जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत इफ्को प्रवर्तित प्राईमरी फामर्स फॉरेस्टी को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि. सुरखी, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 49, दिनांक 23 जून, 1988 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-T)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/927.—प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., मूढ़रा, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 615, दिनांक 30 सितम्बर, 1995 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/234, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., मूढ़रा, वि. ख. जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 615, दिनांक 30 सितम्बर, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड जैसीनगर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-U)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/928.—प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., मंजला, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 739, दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/239, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., मंजला, वि. ख. बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 739, दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-V)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/929.—प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., रायखेड़ा (सलैया), वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 738, दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/240, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., रायखेड़ा (सलैया), वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 738, दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-W)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/930.—प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., सुना, वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 745, दिनांक 27 मार्च, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/241, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., सुना, वि. ख. देवरी, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 745, दिनांक 27 मार्च, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड देवरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-X)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/931.—प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., पड़रई, वि. ख. केसली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1231, दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/242, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., पड़रई, वि. ख. केसली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1231, दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड केसली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-Y)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/932.—वनश्री वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 105, दिनांक 28 जुलाई, 1993 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/229, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत वनश्री वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 105, दिनांक 28 जुलाई, 1993 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(398-Z)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/933.—ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 109, दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/104, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर, वि. ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 109, दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(399)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/934.—महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1120, दिनांक 07 जून, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/105, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत

महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बीना, वि. ख. बीना, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1120, दिनांक 07 जून, 2004 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड बीना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(399-A)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/935.—ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बांदरी, वि. ख. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 153, दिनांक 07 मार्च, 2009 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/106, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बांदरी, वि. ख. मालथौन, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 153, दिनांक 07 मार्च, 2009 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मालथौन को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(399-B)

सागर, दिनांक 11, 16 मार्च, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/936.—जिला बीड़ी सहकारी संघ मर्या., सागर, वि.ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 152, दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है), द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/211, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि, समिति को अधिरोपित आरोप स्वीकार है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सह. सो. अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जिला बीड़ी सहकारी संघ मर्या., सागर, वि.ख. सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 152, दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,

(399-C) उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./2016/803.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक एस. पी. आर. आई./एच.ओ./83, दिनांक 16 मार्च, 1962 हैं को, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर के आदेश क्रमांक परि/2016/285, ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम क्रमांक 57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व से मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

सुनील कुमार सिंह,
परिसमापक.

(382)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	जय अंबिका यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	204/26-09-1993	1002/29-03-2016
2.	वीणावादिनी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	792/27-03-1995	1003/29-03-2016
3.	हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	358/27-09-2003	1355/06-08-2015
4.	सिंध गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	171/09-03-1990	1111/26-07-2013
5.	महिमा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	234/02-11-1995	1957/20-10-2015
6.	केदारनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	195/18-08-1992	2112/07-11-2015
7.	रामचन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	366/12-12-2003	1355/06-08-2015
8.	डाकतार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	53/20-04-1973	1355/06-08-2015
9.	बाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	332/27-01-2003	717/23-05-2013
10.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिअली, जिला ग्वालियर	922/10-07-2002	1064/30-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

ओ. पी. पाठक,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(383)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	88/09-03-1981	510/20-02-1998
2.	टेलीफोन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	78/12-09-1979	3882/10-11-2000
3.	शिवरामपुरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	193/10-08-1992	2065/11-09-2002
4.	चितरंजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	403/28-01-2008	722/23-05-2013
5.	अभियंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	282/30-09-2000	1123/31-03-2016
6.	माँ शेरावाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	223/19-01-1995	1922/15-10-2015
7.	शैली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	960/28-06-2004	1014/29-03-2016
8.	वैभव लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	853/12-09-1996	2368/03-09-2005
9.	उत्कर्ष स्वास्थ्य सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	407/05-11-2009	1115/26-07-2013

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

अजय आहूजा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(384)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	131/09-01-1987	239/31-07-1996
2.	आशीर्वाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	388/16-02-2005	725/23-05-2013
3.	ग्वालियर नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	65/17-06-1976	1860/21-11-2013
4.	मानस गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	108/21-03-1983	1859/21-11-2013
5.	प्रियदर्शिनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	176/19-04-1990	1135/31-03-2016
6.	शोभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	343/19-05-2003	1136/31-03-2016
7.	संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मऊच	913/13-03-2002	1861/21-11-2013
8.	प्रजापति ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	04/17-07-1959	1029/19-03-2016
9.	पंजाब नेशनल बैंक साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	863/18-11-1956	1862/21-11-2013
10.	डॉ. अम्बेडकर रफ्तार योजना परिवहन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	207/16-11-1993	1091/30-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

के. के. गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(385)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	सिंधिया स्कूल कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	121/28-04-1986	2990/14-11-2014
2.	सिंधिया स्कूल शिक्षक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	123/28-04-1986	2990/14-11-2014
3.	माँ शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	404/29-03-2008	2990/14-11-2014
4.	विमल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	361/17-10-2003	724/23-05-2013
5.	अंकुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	122/26-05-1986	1109/31-03-2016
6.	साईन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	368/10-02-2004	1110/31-03-2016
7.	हरिजन सामूहिक कृषि सह. संस्था मर्या., जडेरूआ कला, ग्वालियर	86/19-10-1953	2990/14-11-2014
8.	गंगा साग-सब्जी उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	268/03-08-1998	2990/14-11-2014

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

पी. के. श्रीवास्तव,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(386)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	श्री महालक्ष्मी दीप मोमबत्ती एवं अगरबत्ती सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	304/26-09-2002	1070/30-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने

के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

इन्द्रा निगम,

(387) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	महाराजा अग्रसेन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	804/30-06-1995	1086/30-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

नम्रता अग्रवाल,

(388) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	कांचमणि उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	701/17-01-1988	1088/30-03-2016
2.	विध्यांचल गोली विस्कुट उद्योग सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	283/11-06-1997	1094/30-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

चित्रा देवगांवकर,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(389)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मऊछ, जिला ग्वालियर	517/08-02-1990	430/17-03-2015
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जखारा, जिला ग्वालियर	504/31-03-1989	430/17-03-2015
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डबका, जिला ग्वालियर	516/08-02-1990	430/17-03-2015
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बधौली, जिला ग्वालियर	533/31-03-1990	430/17-03-2015
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचौरा, जिला ग्वालियर	647/15-04-1993	430/17-03-2015
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनवार, जिला ग्वालियर	519/08-02-1990	430/17-03-2015
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयागांव, जिला ग्वालियर	980/06-02-2008	102/24-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी

संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आनंद कुमार,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(390)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	शांति निकेतन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	116/16-09-1985	1652/03-09-1997
2.	दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	189/15-06-1992	681/25-02-2000
3.	माँ सन्मति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	399/21-11-2006	1117/31-03-2016
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ऐराया	525/08-02-1990	1799/06-07-2006
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साखनी	536/31-03-1990	1800/06-07-2006
6.	साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	199/06-11-2001	1089/30-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

जी. एस. कुशवाह,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(391)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	म.प्र. कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	197/04-09-1992	150/04-01-1996
2.	आदर्श निकेतन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	58/07-04-1975	239/31-07-1996
3.	अग्रसेन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	120/09-04-1985	604/02-09-1999
4.	रामगोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	275/05-02-2000	255/30-01-2003
5.	करूणा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	182/09-08-1992	1614/25-08-2009
6.	गोमटेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	179/28-02-1991	1956/20-10-2015
7.	बालाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	159/08-08-1989	1863/21-11-2013
8.	गजानन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	587/28-12-2004	1133/31-03-2016
9.	संगम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	208/31-03-1996	1134/31-03-2016
10.	जेसी मिल उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर	224/21-06-1967	1265/02-08-1996
11.	अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेथरी	911/01-01-2012	1075/31-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

जे. के. शर्मा,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(392)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2016–ज्येष्ठ 6, शके 1938

भाग 3 (2)

निरंक